फर्द अहकाम

2020/00200

न्यायालय सहायक ... जिला जयपुर

कस्तूरी बनाम सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष 113/20 : ______ /20 ______

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.9.20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है रिपोर्ट सहित तलबाना हो चुकी है पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज इन्तकाल का पेश किया है। प्रतिवादी को तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 5.10.20 को पेश हो। sd	
		दिनांक 5.10.20 को कोविड 19 महामारी के कारण लोक डाउन होने से पत्रावली में कोई कार्य वाही नहीं की जा सकी। आज P.O. सा.......... दौरे/अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 19.10.20 को पेश हो।	1379 / 5.10.20
		दिनांक 19.10.20 को कोविड 19 महामारी के कारण लोक डाउन होने से पत्रावली में कोई कार्य वाही नहीं की जा सकी। आज P.O. सा.......... दौरे/अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 5.11.20 को पेश हो।	
	5.11.20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1 का नोटिस बाद तामील होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित। पैरोकार सरकार तहसीलदार कालवाड़ ने वाद पत्र का जवाब न देकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज	05/11/2020

2020/00200

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर

113/20 कस्तूरी बनाम सरकार

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		को सही मानते हुए रिकार्ड अनुसार वादीगण के पिता का नाम कागजात के स्थान पर लाल चन्द दुरुस्त किये जाने एवं वाद पत्र को स्वीकार करने हेतु सहमति जाहिर की। वादीगण के वकील द्वारा भी वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश न करके वाद पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादीगण एवं पेशकार सरकार की वाद पत्र पर बहस सुनी गयी।
		पत्रावली का अवलोकन एवं वकील वादी व पेशकार सरकार की वाद पत्र पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।
		सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

फर्द अहकाम

2020/00280

सहायक कलक्टर बस्सी

कस्तूरी **बनाम** सरकार

संख्या /वर्ष 1/21 : ____ /20 ____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4/1/21	पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी के पेश होने पर तलब फरमाई गई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील वादी को प्रार्थना पत्र पर सुनने के पश्चात प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर न्यायालय की डिक्री व निर्णय दिनांक 5.11.20 में वादी नं. 3 का नाम विनय सोमवंशी पुत्री लालचन्द के स्थान पर विनय सोमवंशी पुत्र लालचन्द दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। संशोधित निर्णय व डिक्री जारी की जावे। संशोधित निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बस्सी को लिखा जावे। पत्रावली प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर से कम किया जाकर मूल पत्रावली से संलग्न किया जावे। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी नीरज कुमार मीणा(आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी		प्रतिवादी
1 कस्तूरी देवी बेवा लालचन्द 2 रजनी भागसवाल पुत्री लालचन्द 3 निलम सोमवंशी पुत्री लालचन्द 4 अजय सोमवंशी पुत्र लालचन्द 5 योगेश कुमार पुत्र लालचन्द समस्त जाति कलाल(सोमवंशी) निवासी ग्राम बस्सी तह बस्सी जिला जयपुर व हाल निवासी बी 8 सरस्वती कालोनी टोंक फाटक जयपुर।	बनाम	1 तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा 113/20

निर्णय दिनांक 05.11.2020

निर्णय

1 यह कि पत्रावली आज दिनांक 05.11.2020 को पेश हुयी एवं वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार बस्सी पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित। पैरोकार सरकार तहसीलदार बस्सी द्वारा वादीगण के वाद पत्र व वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया व न्यायालय से निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र उनके पिता व पति स्व. लालचन्द का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दुरूस्ती का है. वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे वादीगण के पिता व पति का नाम बालचन्द दर्ज है एवं वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र अपने पिता व पति का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे साबिका राजस्व रिकार्ड के मुताबिक बालचन्द पुत्र सोहनलाल के स्थान पर लालचन्द पुत्र सोहनलाल दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया गया है व अपने पिता व पति स्व. लालचन्द के हिस्सा 1/2 कि खातेदारी की भूमि मे उनके स्थान पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पत्र है एवं वादीगण का वाद पत्र पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित है एवं विधि सम्मत वाद है एवं मान्य न्यायालय द्वारा वादीगण

सहायक कलक्टर ... जिला जयपुर

के वाद पत्र को डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार बस्सी सरकार पैरोकार को कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी कोई जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते है।

2. यह कि वादीगण के अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने न्यायालय से निवेदन किया कि प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार बस्सी पैरोकार सरकार ने वादीगण के वाद पत्र को मान्य न्यायालय द्वारा डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की है, इस कारण मान्य न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से उक्त वादपत्र की बहस सुनी ली जाए। इस पर न्यायालय द्वारा वाद पत्र पर वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं वादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान न्यायालय से निवेदन किया कि भूमिवादग्रस्त कृषि भूमि ख.नं. 23 रकबा 0.0506 है., ख.नं. 24 रकबा 0.0632 है. ख.नं. 25 रकबा 2.2761 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.3899 है. वाके ग्राम बाढ भाजुपुरा, पटवार हल्का, मनोहरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ, तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है।

यह कि वादीगण के पिता एवं पति स्व. लालचन्द पुत्र स्व. सोहनलाल का पारिवारिक सजरा खानदान निम्न प्रकार निवेदन है।

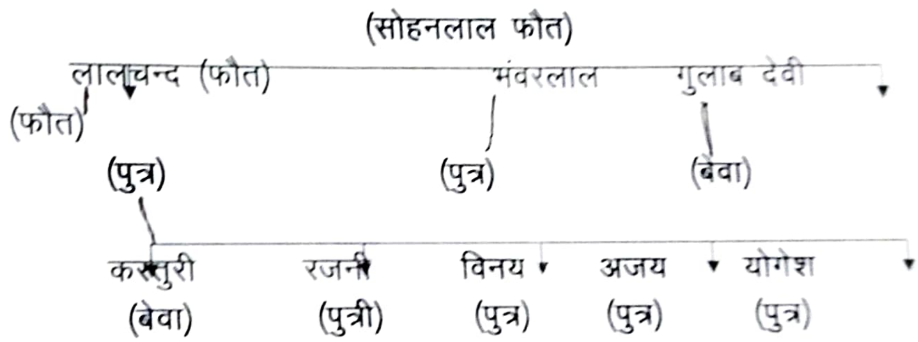

यह कि संवत 2015 में भूमिवादग्रस्त के हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता व पति स्व. श्री लालचन्द पुत्र सोहनलाल थे व 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता व पति स्व. स्व लालचन्द के भाई भंवरलाल पुत्र सोहनलाल थे एवं 1/3 हिस्से की खातदेार वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द व उनके भाई भंवरलाल की माता गुलाब बेवा सोहनलाल थी।

यह कि दौराने एकीकरण एकीकरण विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियों ने सहवन से वादीगण के पिता व पति लालचन्द पुत्र सोहनलाल का नाम, लालचन्द पुत्र सोहनलाल के स्थान पर बालचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज कर दिया था एवं एकीकरण के पश्चात वादीगण के पिता व पति लालचन्द व वादीगण के पिता व पति लालचन्द के

भाई भंवरलाल की माताजी की मृत्यु एकीकरण के पश्चात हुयी है एवं उक्त गुलाब देवी का विरासत का नामान्तकरण वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द व उनके भाई भंवरलाल पुत्र सोहनलाल के नाम खुला व तस्दीक हुआ था एवं उक्त नामान्तकरण में भी तत्कालीन पटवारी हल्का मनोहरपुरा व वादीगण के पिता व पति का नाम लालचन्द के स्थान पर सहवन से बालचन्द दर्ज कर दिया था एवं उक्त नामान्तकरण तस्दीक हो गया था एवं वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द को उनके जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित गलती की जानकारी नहीं रही थी।

यह कि वादीगण को उक्त वाद पत्र का वादकारण दिनांक 24.8.2020 की घटना के कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। जिनका उल्लेख वादीगण ने वाद पत्र के मद संख्या 6 व 7 में किया गया है।

यह कि वादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान न्यायालय को अपने वाद पत्र के समर्थन में पेश की गयी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करवाया जो निम्न प्रकार हैः—

1. भूमिवादग्रस्त की सम्वत् 2074—77 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति।
2. भूमिवादग्रस्त के मिलान क्षेत्रफल एकीकरण की प्रमाणित प्रति।
3. भूमिवादग्रस्त की एकीकरण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
4. भूमिवादग्रस्त की सम्वत 2015 से 2034 की भू—प्रबन्ध(सैटलमेण्ट) विभाग की बन्दोबस्त खतौनी की प्रमाणित नकल।
5. वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द के वारीस प्रमाण पत्र की प्रति।
6. वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
7. वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द के भारत निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र की प्रति।
8. वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द के पारिवारिक राशन कार्ड की प्रति।
9. वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द के आयकर विभाग के पहचान पत्र की प्रति।

यह कि बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य से बेखूबी साबित है। इस कारण न्यायहित में वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे व भूमिवादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता व पति

का नाम बालचन्द पुत्र सोहनलाल के स्थान पर सही नाम लालचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे व वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द पुत्र सोहनलाल के हिस्सा 1/2 की भूमिवादग्रस्त के खातेदार काश्तकार उनके वारिसान होने की वजह से वादीगण को घोषित किया जावे।

3. यह कि वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया व वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ पेश की गयी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया है एवं प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार बस्सी पैरोकार सरकार द्वारा वादीगण के वाद पत्र को डिक्री किये जाने में न्यायालय में बहस के दौरान सहमति जाहिर की व सहमति दी। इस कारण पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वाद पत्र बखूबी साबित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है एवं वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द पुत्र सोहनलाल का सही नाम भूमिवादग्रस्त की वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में बालचन्द पुत्र सोहनलाल के स्थान पर दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है तथा वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द पुत्र सोहनलाल के हिस्सा 1/2 की भूमिवादग्रस्त ख.नं. 23 रकबा 0.0506 है., ख.नं. 24 रकबा 0.0632 है., ख.नं. 25 रकबा 2.2761 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.3899 है. स्थित ग्राम बाढ भाजुपुरा, पटवार हल्का मनोहरपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ़, तहसील बस्सी, जिला–जयपुर को खातेदार स्व. लालचन्द पुत्र सोहनलाल के वारीसान होने से घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय एवं डिक्री की पालना करने हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

आज दिनांक 05.11.2020 को यह निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बस्सी, जिला– जयपुर
सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी नीरज कुमार मीणा(आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी		प्रतिवादी
1 कस्तूरी देवी बेवा लालचन्द 2 रजनी जायसवाल पुत्री लालचन्द 3 विनय सोमवंशी (पुत्री लालचन्द) पुत्र लालचन्द 4 अजय सोमवंशी पुत्र लालचन्द 5 योगेश कुमार पुत्र लालचन्द समस्त जाति कलाल(सोमवंशी) निवासी ग्राम बस्सी, तह. बस्सी जिला जयपुर व हाल निवासी बी–6 सरस्वती कालोनी टोंक फाटक, जयपुर।	बनाम	1 तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मु0न0 113 / 20 निर्णय दिनाक 05.11.2020

वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है एवं वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द पुत्र सोहनलाल का सही नाम भूमिवादग्रस्त की वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में बालचन्द पुत्र सोहनलाल के स्थान पर दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है तथा वादीगण के पिता व पति स्व. लालचन्द पुत्र सोहनलाल के हिस्सा 1 / 2 की भूमिवादग्रस्त ख.नं. 23 रकबा 0.0506 है., ख.नं. 24 रकबा 0.0632 है., ख.न. 25 रकबा 2.2761 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.3899 है. स्थित ग्राम बाढ भाजुपुरा, पटवार हल्का मनोहरपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ, तहसील बस्सी, जिला–जयपुर को खातेदार स्व. लालचन्द पुत्र सोहनलाल के वारीसान होने से घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है।........ निजी मुद्दलिक .... बाबत .... खर्चा .... इस मुकदमा का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक .... को अदा करे।

दसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.11.2020 को जारी किया गया।

दस्तखत

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मोहर
अदालत

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]